

खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश

खेल भवन, लखनऊ।

संख्या:- 1801 / 2016-17

01-08-  
दिनांक:- जुलाई, 2016

समस्त क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी / क्रीड़ाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

यह स्पष्ट करना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत खण्ड स्तर एवं उससे ऊपर का प्रत्येक कार्यालय स्वयं में एक इकाई है। तदक्रम में प्रत्येक कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय स्तर पर ही नियुक्त किए जाने हैं जिसकी अपील सीधे मा० राज्य सूचना आयोग में की जा सकेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सात (7) कार्यदिवस में किसी भी दशा में दिनांक 06 अगस्त, 2016 से पूर्व उक्त का अनुपालन करते हुए मा० राज्य सूचना आयोग को अवगत कराते हुए उसकी प्रति निदेशालय में भी प्रेषित करें।

( डा० आर०पी० सिंह )  
निदेशक खेल, उ०प्र०।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि रजिस्ट्रार, राज्य सूचना आयोग, उ०प्र० को सूचनार्थ प्रेषित।

( डा० आर०पी० सिंह )  
निदेशक खेल, उ०प्र०।